



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102025-266559  
CG-DL-E-01102025-266559

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]  
No. 290]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2025/आश्विन 7, 1947  
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2025/ASVINA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)  
जांच शुरुआत अधिसूचना  
नई दिल्ली, 29 सितंबर, 2025  
मामला सं. सीवीडी (ओआई) - 06/2025

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्यूमीनियम फॉयल" के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत।

- फा.सं.6/54/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स रविराज फॉयल्स लिमिटेड, मेसर्स एलएसकेबी एल्यूमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड

और मेसर्स एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद 'आवेदक' अथवा 'आवेदक कंपनियां' के रूप में कहा गया है) ने चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद 'संबद्ध देश' के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्यूमीनियम फॉयल" (जिसे इसके बाद 'संबद्ध वस्तु' अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पी यू सी" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की जांच शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/ निर्यातकों को संबद्ध देश की सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रदान की गई कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ मिला है, जिसमें विभिन्न प्रांतों और नगर पालिकाओं की सरकारें, जिनमें उत्पादक/ निर्यातक स्थित हैं और अन्य 'सार्वजनिक निकाय' शामिल हैं। आवेदकों ने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संगत कानूनों, नियमों और विनियमों तथा संबंधित सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक निकायों की अन्य अधिसूचनाओं तथा अन्य जांच प्राधिकारियों के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिन्होंने ऐसी योजनाओं की व्यापक जांच की थी और प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रमों के मौजूद होने का निष्कर्ष निकाला था।

#### **क. पृष्ठभूमि**

3. प्राधिकरण ने 15 दिसंबर 2015 को अधिसूचना संख्या 14/06/2015-डीजीएडी के तहत 'एल्यूमीनियम फॉयल' की जांच शुरू की। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉयल था। प्राधिकरण ने 10 मार्च 2017 को जांच में अंतिम निष्कर्ष जारी किए, जिसमें 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक के एल्यूमीनियम फॉयल पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय ने 16 मई 2017 की अधिसूचना संख्या 23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत शुल्क लगाया।
4. इसके बाद, प्राधिकरण ने 20 जून 2020 की अधिसूचना संख्या 06/21/2020-डीजीटीआर के तहत संबंधित वस्तुओं की जांच शुरू की, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से "80 माइक्रोन और उससे कम एल्यूमीनियम फॉयल" के आयात की जांच की गई। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की एल्यूमीनियम फॉइल शामिल नहीं थी, क्योंकि इस उत्पाद पर पहले से ही शुल्क लागू थे। विस्तृत जांच के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि संबंधित वस्तुएँ चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया से डंप की गई कीमतों पर निर्यात की गई और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई। प्राधिकरण ने अपने अंतिम निष्कर्ष संख्या 6/21/2020- डीजीटीआर, दिनांक 18 जून 2021 के माध्यम से निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की, जिन्हें वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 सितंबर 2021 के माध्यम से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लगाया था।
5. प्राधिकरण ने अधिसूचना संख्या 7/3/2024- डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च 2024 के तहत एक मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू की। यह निष्कर्ष निकाला गया कि 26 मार्च 2025 को अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों के अनुसार थाईलैंड में उत्पादकों पर लागू डंपिंग रोधी शुल्क के पुनः परिमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
6. अलग से, चीन पीआर से "एल्यूमीनियम फॉयल" के आयात की डंपिंग रोधी जांच की गई, जिसकी शुरूआत अधिसूचना संख्या 06/35/2023- डीजीटीआर दिनांक 21 मार्च 2024 के तहत की गई। उक्त जांच में चीन पीआर से 5.5 माइक्रोन से कम आकार के एल्यूमीनियम फॉयल को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसे 2021 में संपन्न जांच के उत्पाद दायरे में शामिल किया गया था। अधिसूचना संख्या 06/35/2023- डीजीटीआर दिनांक 28 अगस्त 2024 के तहत अनंतिम शुल्क लगाए गए। 02/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 17 मार्च 2025 के तहत प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की गई, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या 15/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 19 जून 2025 के तहत लगाया गया। ये शुल्क वर्तमान में लागू हैं।

## **ख. विचाराधीन उत्पाद**

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन और उससे कम के एल्युमीनियम फँयल" हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 80 माइक्रोन या उससे कम की मोटाई (अनुमत टोलरेंस के साथ) के एल्युमीनियम फँयल शामिल है, चाहे वे मुद्रित हों या नहीं, अथवा कागज़, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या समान पैकेजिंग सामग्री के साथ हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
- क) एल्युमीनियम फँयल कम्पोजिट- क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या ग्लास क्लॉथ के साथ या पॉलीएथिलीन के साथ या उसके बिना लैमिनेटेड या समर्थित एल्युमीनियम फँयल, चाहे मुद्रित हो या नहीं। तथापि, क्राफ्ट पेपर के साथ लैमिनेटेड या समर्थित एल्युमीनियम फँयल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे में है।
  - ख) नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फँयल - नक्काशीदार या निर्मित एल्युमीनियम फँयल, वे एल्युमीनियम फँयल हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के निर्माण में किया जाता है।
  - ग) एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल एक गैर-एल्युमीनियम कोर (प्रायः पीई) होता है जो एल्युमीनियम की दो पतली परतों के बीच बंधा होता है, जिसका उपयोग फेकेड क्लैडिंग और साइनेज में किया जाता है।
  - घ) संगत नॉन-क्लैड एल्युमीनियम फँयल के साथ क्लैड - संगत नॉन-क्लैड एल्युमीनियम फँयल के साथ क्लैड एक जंग रोधी एल्युमीनियम शीट होती है, जो एल्युमीनियम की सरफेस लेयर से बनी होती है और उच्च-शक्ति एल्युमीनियम मिश्र धातु कोर सामग्री से धातुकर्मीय रूप से (मेटलर्जिकली) जुड़ी होती है। इसका उपयोग ऑटोमोटिव उद्योग में इंजन कूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणालियों में किया जाता है; जैसे रेडिएटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।
  - ङ) बीयर की बोतल के लिए एल्युमीनियम फँयल - 10.5 माइक्रोन की एल्युमीनियम फँयल, खुरदरी सतह वाली और छिद्रित, चाहे मुद्रित हो या नहीं; जो बीयर की बोतल में उपयोग के लिए होती है।
  - च) एल्युमीनियम-मैग्नीज-सिलिकॉन आधारित और/ अथवा क्लैड एल्युमीनियम - मैग्नीज सिलिकॉन आधारित मिश्र धातु, चाहे क्लैड हो या अनक्लैड - 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ब्रेज़िंग यील्ड स्ट्रेंथ के साथ, रेडिएटर, चार्ज एयर कूलर, कंडेंसर, ऑयल कूलर, हीटर कोर, इवेपोरेटर, हीट वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियां और तत्संबंधी पुर्जे सहित जो हीट एक्सचेंजर्स में उपयोग के लिए टैरिफ हेडिंग 7607 के अंतर्गत आते हैं।
8. विचाराधीन उत्पाद को मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का संरक्षण और भंडारण करने, दवाइयों की पैकेजिंग करने आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे खाद्य और खाद्य उत्पादों का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए पैकेजिंग सामग्री के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। एल्युमीनियम फँयल एक गैर-विषाक्त पदार्थ है। यह एक अच्छा तापीय चालक भी है और सामान्य तौर पर काफी लचीला होता है।
9. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची I के अध्याय 76 के उप शीर्ष 7607 के अंतर्गत कार्बनिक रसायनों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं को भारत में 76071190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 और 76071992 के अंतर्गत आयात किया जाता है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
10. विचाराधीन उत्पाद की विक्री उसके भार के अनुसार की जाती है, इसलिए माप की इकाई मीट्रिक टन (मी. टन) या किलो ग्राम (कि. ग्रा.) में मानी जाती है।
11. आवेदकों ने पी सी एन का प्रस्ताव किया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है। हितबद्ध पक्षकार इस जांच के प्रयोजन के लिए पी सी एन पर अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।

क्र सं	फॉयल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	सादी / परिवर्तित	पी सी एन कोड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	एलु एलु स्टॉक/ फॉयल	45-60	सादी फॉयल	ए एस बी एफ
2	हाउस फॉयल/होम फॉयल	8-22	सादी फॉयल	एच एफ बी एफ
3	लाइट गेज (एल जी)	7- < 20	सादी फॉयल	एल जी बी एफ
4	मध्यम गेज (एम जी)	20-60	सादी फॉयल	एम जी बी एफ
5	अर्ध-कठोर कंटेनर (एस आर सी)	30-80	सादी फॉयल	एए आर बी एफ
6	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5- <7	सादी फॉयल	यू जी बी एफ
7	बैटरी फ्ला फॉयल	9-20	सादी फॉयल	बी एफ बी एफ
8	कैपेसिटर	4.5- 20	सादी फॉयल	सी एफ बी एफ
9	*कोई अन्य सादी फॉयल (क्रम सं. 1-8 के अंतर्गत नहीं)		सादी फॉयल	ओ एफ बी एफ
10	सिगरेट फॉयल	5.5-7	परिवर्तित	सी एफ सी एफ
11	एलु एलु परिवर्तित/ लेमिनेटेड	45-60	परिवर्तित	ए एस सी एफ
12	हाउस फॉयल/ होम फॉयल परिवर्तित	8-22	परिवर्तित	एच एफ सी एफ
13	एस आर सी परिवर्तित	30-80	परिवर्तित	एस आर सी एफ
14	मध्यम गेज (एम जी) परिवर्तित	20-60	परिवर्तित	एम जी सी एफ
15	लाइट गेज (एल जी) परिवर्तित	7-<20	परिवर्तित	एल जी सी एफ
16	बैटरी फॉयल परिवर्तित	9-20	परिवर्तित	बी एफ सी एफ
17	कोई अन्य परिवर्तित फॉइल (क्रम सं. 10-16 के अंतर्गत नहीं)		परिवर्तित	ओ एफ सी एफ
18	अल्ट्रा-लाइट गेज बेयर	5.5- <7	सादी फॉयल	यू जी बी एफ

#### ग. समान वस्तु

12. आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जिन पर सब्सिडी दी जाती है और जिन्हें भारत में निर्यात किया जाता है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। संबद्ध आयातों और घरेलू स्तर पर उत्पादित संबद्धवस्तुओं तथा आवेदकों द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद की तकनीकी विशिष्टताओं, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए, नियमावली के तहत इन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा भारत में उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

#### घ. संबद्ध देश

13. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

**उ. जांच की अवधि**

14. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पी ओ आई) दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 (12 माह) की है और क्षति जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**च. घरेलू उद्योग और स्थिति**

15. यह आवेदन मेसर्स रविराज फॉयल्स लिमिटेड, मेसर्स एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, मेसर्स श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक कंपनियों के अलावा, संबद्ध वस्तुओं के 26 अन्य घरेलू उत्पादक भी हैं। प्राधिकारी ने इन अन्य ज्ञात उत्पादकों से भी उनके उत्पादन, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए संपर्क किया है। तथापि, अभी तक कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
16. रविराज फॉयल्स लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड, और श्री वेंकटेश्वर इलेक्ट्रोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड ने यह प्रमाणित किया है कि उन्होंने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। एलएसकेबी एल्युमिनियम फॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, और एसआरएफ अल्टेक लिमिटेड ने जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, तथापि यह देखने में आया है कि आयात की मात्रा कम है और ये उनके अपने उत्पादन, आयात और खपत की तुलना में नगण्य है।
17. आवेदकों ने कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाया है और इस स्तर पर इसे उपयुक्त माना गया है। इस प्रकार, उपलब्ध सूचना के आधार पर और उचित जांच के बाद, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का "एक बड़ा हिस्सा" है। इस प्रकार, आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग हैं, और यह आवेदन नियम 6(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

**छ. कथित सब्सिडी का आधार**

18. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. की सरकार ने विभिन्न प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम चलाए हैं। आवेदक कंपनियों ने यह अनुरोध किया है कि पर्यास साक्ष्य मौजूद हैं जो यह दर्शते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों को अनुदान, ऋण, गारंटी, कर, निर्यात ऋण, वस्तुओं और सेवाओं, तथा इक्विटी निवेश के रूप में सब्सिडी प्राप्त हुई होगी - जो लाभकारी होगी। आवेदकों द्वारा प्रदान की गई सूचना प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि नीचे उल्लिखित किए गए कार्यक्रम सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार कार्रवाई योग्य सब्सिडी हैं और ऐसी सब्सिडी चीन सरकार द्वारा प्रदान की गई थी और संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों और उत्पादकों को इन सब्सिडी से लाभ हुआ होगा।
19. आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य यह दर्शते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों को सरकार और/ या संबद्ध देश में अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा दी गई कई सब्सिडी से लाभ हुआ है। घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित सब्सिडी/ कार्यक्रमों का दावा किया गया है:

**I. अनुदानों के रूप में कार्यक्रम**

**कार्यक्रम सं. 1:** वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनहुई फंड

**कार्यक्रम सं. 2:** चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉर्पोरेशन 18वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट फंडिंग

**कार्यक्रम सं. 3:** सरकार की प्रबंधित निधि से छूट

**कार्यक्रम सं. 4:** निर्यात सहायता अनुदान

**कार्यक्रम सं. 5:** प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम

**कार्यक्रम सं. 6:** ग्वांगडोंग प्रांत में वायु प्रदूषक उत्सर्जन में कमी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निधि

- कार्यक्रम सं. 7:** उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 8:** उद्यम नवाचार एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता छूट निधि
- कार्यक्रम सं. 9:** विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान
- कार्यक्रम सं. 10:** उन्नत विनिर्माण बजट के लिए निधि
- कार्यक्रम सं. 11:** ग्वांगडोंग इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र पहचान सब्सिडी निधि
- कार्यक्रम सं. 12:** ग्वांगडोंग प्रांत सामाजिक बीमा परिसमापन बेरोजगारी सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 13:** उच्च तकनीक उद्यम संवर्धन निधि
- कार्यक्रम सं. 14:** 2010 के केंद्रीय बजट में प्रमुख उद्योगों (छठे बैच) के पुनरुद्धार और तकनीकी सुधार के लिए निवेश योजना
- कार्यक्रम सं. 15:** जियांगयिन उद्योग एवं सूचना व्यूरो विशेष निधि (ऊर्जा बचत)
- कार्यक्रम सं. 16:** जियांगयिन बौद्धिक संपदा विशेष निधि
- कार्यक्रम सं. 17:** प्रमुख प्रयोगशालाओं को 2021 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार निधि से सम्मानित किया गया
- कार्यक्रम सं. 18:** उद्यमों के अनुसंधान एवं विकास के लिए नगरपालिका सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 19:** राष्ट्रीय कौशल पुनरोद्धार परियोजनाएं
- कार्यक्रम सं. 20:** एकमुश्त रोजगार सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 21:** नगरपालिका प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/ वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धि परिवर्तन परियोजनाओं/ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार/ प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेष परियोजनाओं के बाद वित्त पोषण के लिए सब्सिडी पश्चात निधि 2018-19
- कार्यक्रम सं. 22:** उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना
- कार्यक्रम सं. 23:** कंप्रिहेंसिव बॉडेड एरिया को बढ़ावा देना
- कार्यक्रम सं. 24:** भविष्य निधि केंद्र विस्तारोत्तर लाभ
- कार्यक्रम सं. 25:** वर्ष 2021 में उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता
- कार्यक्रम सं. 26:** स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनपरोद्धी या सीवीडी कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति
- कार्यक्रम सं. 27:** लघु और सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण गारंटी व्यवसायों के लिए शुल्क कम करने हेतु पुरस्कार सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 28:** शान्ताउ शहर प्रशिक्षण के बदले काम सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 29:** शान्ताउ कंप्रिहेंसिव बॉडेड जोन हाई एंड टेलेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड फंड
- कार्यक्रम सं. 30:** शान्ताउ कंप्रिहेंसिव बॉडेड जोन औद्योगिक उत्पादन उन्नयन प्रोत्साहन निधि
- कार्यक्रम सं. 31:** व्यावसायिक कौशल संवर्धन कार्य निधि/ व्यावसायिक दक्षता संवर्धन हेतु सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 32:** बोलोंग जिला वित्त व्यूरो अनुदान (2022 में उद्यम अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रांतीय वित्तीय सहायता हेतु विशेष निधि)

## II. कर प्रोत्साहनों के रूप में कार्यक्रम

- कार्यक्रम सं. 33:** अचल संपत्तियों या खरीदे गए सॉफ्टवेयर के लिए त्वरित मूल्यहास या परिशोधन नीति

- कार्यक्रम सं. 34:** बिंजियांग के दो विशेष आर्थिक विकास क्षेत्रों, काशगर और होगर्स के लिए कॉर्पोरेट आयकर प्राथमिकताएं
- कार्यक्रम सं. 35:** योग्य बैटरियों और कोटिंग्स के लिए उपभोग कर से छूट
- कार्यक्रम सं. 36:** डीजल और अन्य औद्योगिक ईंधन पर उपभोग कर से छूट
- कार्यक्रम सं. 37:** बेरोज़गारी बीमा, पदों का स्थिरीकरण, कौशल सुधार और बेरोज़गारी की रोकथाम में बेहतर काम
- कार्यक्रम सं. 38:** प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात शुल्क और बैट छूट
- कार्यक्रम सं. 39:** उद्यम आयकर कानून के तहत अनुसंधान एवं विकास व्यय के लिए आयकर कटौती
- कार्यक्रम सं. 40:** उत्पादन के लिए संसाधनों के व्यापक उपयोग हेतु आयकर में कमी
- कार्यक्रम सं. 41:** उच्च या नई प्रौद्योगिकी उद्यमों (एचएनटीई) के लिए आयकर में कमी
- कार्यक्रम संख्या 42:** क्रृषि व्याज सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 43:** एमएसएमई द्वारा उपकरणों और उपकरणों की खरीद पर एकमुश्त कर-पूर्व कटौती
- कार्यक्रम सं. 44:** व्यक्तिगत आयकर प्रतिपूर्ति
- कार्यक्रम सं. 45:** बेरोज़गारी बीमा और कार्य-संबंधी क्षति बीमा प्रीमियम दरों में चरणबद्ध कमी
- कार्यक्रम सं. 46:** गुआंगज़ौ नानशा में अधिमान्य कॉर्पोरेट आयकर नीति
- कार्यक्रम सं. 47:** प्रदूषक उत्सर्जन मानकों से नीचे के उद्यमों के लिए अधिमान्य पर्यावरण संरक्षण कर
- कार्यक्रम सं. 48:** पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमान्य कर छूट
- कार्यक्रम संख्या 49:** विशेष आर्थिक क्षेत्रों और शंघाई के पुडोंग न्यू एरिया में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- कार्यक्रम सं. 50:** ठोस अपशिष्ट के व्यापक उपयोग के लिए पर्यावरण संरक्षण पर अधिमान्य कर उपचार
- कार्यक्रम सं. 51:** वित्तपोषण पर अधिमान्य कर उपचार
- कार्यक्रम सं. 52:** उच्च तकनीक उद्यमों पर कम कॉर्पोरेट आयकर
- कार्यक्रम सं. 53:** उत्पादों और सेवाओं के लिए व्यापक संसाधन उपयोग पर बैट की वापसी
- कार्यक्रम सं. 54:** शेल गैस के लिए संसाधन कर में कमी
- कार्यक्रम सं. 55:** कॉलेज स्नातकों को आकर्षित करने के लिए शान्ताउ वित्त ब्यूरो रोजगार सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 56:** शान्ताउ सामाजिक बीमा निधि प्रशासन बेरोज़गारी लाभ सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 57:** नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष निधि
- कार्यक्रम सं. 58:** औद्योगिक उद्यमों का स्थिर विकास
- कार्यक्रम सं. 59:** बाजारों और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 60:** बीजिंग में उच्च-स्तरीय विदेशी प्रतिभाओं के लिए सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 61:** हैकांग जिले में औद्योगिक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार के लिए सब्सिडी
- कार्यक्रम सं. 62:** जिआंगसू प्रांत का सूज़ौ औद्योगिक पार्क, हरित विकास हेतु विशेष निधि
- कार्यक्रम सं. 63:** सूज़ौ औद्योगिक पार्क वाहक निर्माण लाभ

**कार्यक्रम सं. 64:** लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों और व्यक्तिगत व्यवसायों के विकास को और अधिक समर्थन देने के लिए कर एवं शुल्क नीतियां

**कार्यक्रम सं. 65:** तीन सितारा रेटेड उद्यम पुरस्कार/ चार सितारा रेटेड करदाता उद्यम पुरस्कार

**कार्यक्रम सं. 66:** लघु करदाताओं के लिए वैट कटौती और छूट नीति

**कार्यक्रम सं. 67:** स्व-निर्मित नई दीवार सामग्री की बिक्री के लिए वैट वापसी नीति

**कार्यक्रम सं. 68:** वर्कर रिटेंशन भत्ता

### **III. अपर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एल टी ए आर) के रूप में कार्यक्रम**

**कार्यक्रम सं. 69:** एल टी ए आर हेतु विद्युत का प्रावधान

**कार्यक्रम सं. 70:** एल टी ए आर हेतु भूमि का प्रावधान

**कार्यक्रम संख्या 71:** एल टी ए आर हेतु प्राथमिक एल्युमीनियम का प्रावधान

### **IV. अधिमान्य वित्तपोषण, ऋण और निर्यात ऋण के रूप में कार्यक्रम**

**कार्यक्रम सं. 72:** निर्यातक क्रेता ऋण नीति

**कार्यक्रम सं. 73:** निर्यातक विक्रेता ऋण नीति

**कार्यक्रम सं. 74:** एल्युमीनियम फँॉयल उद्योग के लिए नीतिगत ऋण

**कार्यक्रम सं. 75:** वेरोजगारी बीमा की वापसी

#### **ज. परामर्श**

20. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों पर समझौते (ए एस सी एम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार दिनांक 25 अगस्त, 2025 को एक परामर्श बैठक निर्धारित करके चीन सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया है। तथापि, दूतावास ने अभी तक परामर्श अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है।

#### **झ. क्षति, आशंका और कारणात्मक संबंध**

21. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कथित सब्सिडी के परिणामस्वरूप क्षति हुई है और इसके परिणामस्वरूप भारत में उत्पादन और खपत के साथ-साथ कुल मिलाकर सब्सिडी के आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत दबाव का प्रभाव भी पड़ा है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि संबद्ध देश से सब्सिडी के निर्यातों के परिणामस्वरूप बिक्री और परिणामस्वरूप लाभ, नियोजित पूंजी पर प्रतिफल और नकदी लाभ में गिरावट के संबंध में उनके प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्ट्या चीन जन. गण. से कथित सब्सिडी के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दर्शाते हैं।

#### **ऋ. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत**

22. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत प्रमाणित किए गए लिखित आवेदन के आधार पर तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर सब्सिडी दिए जाने, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा ऐसी कथित सब्सिडी और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करता है तथा नियमावली के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की

धारा 9 के अनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कथित समिड़ी की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए एतद्वारा जांच की शुरुआत करते हैं, जिसे यदि लगाया जाता है, तो वह घेरलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### **ट. प्रक्रिया**

23. वर्तमान जांच में सी वी डी नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

#### **ठ. सूचना की प्रस्तुति**

24. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पर भेजे जाने चाहिए, जिनकी एक-एक प्रति [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) पर भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुति का विस्तृत भाग सर्व योग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल फार्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
25. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातिकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, सी वी डी नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें ताकि वे जांच से संबंधित सूचना और आगे की प्रक्रियाओं से अद्यतन और अवगत रहें।

#### **ड. समय सीमा**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना, नियम 7(4) के अनुसार, सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते jd12-dgtr@gov.in और [ad12-dgtr@gov.in](mailto:ad12-dgtr@gov.in) पर भेजी जानी चाहिए, जिसकी एक प्रति [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) और [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) पर भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करें।
30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे सी वी डी नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

#### **ढ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति**

31. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को सी वी डी नियमावली के नियम 8(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे। यदि अनुरोध कई भागों में किया जाता है, तो प्रत्येक भाग में एक अनुक्रमणिका तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें संलग्न सभी भागों/ ईमेल और दस्तावेजों की विषय-वस्तु का उल्लेख हो। कृपया सभी अनुरोधों पर पृष्ठ संख्या अंकित करना सुनिश्चित करें।
33. जहां मूल दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही अनुदित पाठ भी उपलब्ध कराया जाए।
34. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। इस प्रकार से अंकित किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
35. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/ या अन्य सूचना जिसे ऐसी सूचना का प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना जिसके गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया जाता है या जिस सूचना की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया जाता है, उसके लिए सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना आवश्यक है, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित या रिक्त स्थान दिया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव न हो) और उस सूचना के आधार पर उसका सारांश दिया गया हो जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
37. अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह उल्लेख कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सी वी डी नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित कारणों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।
38. हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मामले पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
40. बिना किसी सार्थक अगोपनीय पाठ के अथवा सी वी डी नियमावली के नियम 8 और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
41. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और स्वीकार किए जाने पर, उस पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **४. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

42. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। इन अनुरोध/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित न किए जाने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

**त. असहयोग**

43. यदि कोई हितवद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितवद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(Directorate General of Trade Remedies)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th September, 2025

**Case No. CVD (OI) – 06/2025**

**Subject: Initiation of Countervailing Duty investigation concerning imports of “Aluminium Foil 80 Microns and below” originating in or exported from China PR.**

1. F.No.6/54/2025-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Act’), and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), M/s. Raviraj Foils Ltd., M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. Shyam Sel and Power Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., and M/s. SRF Altech Ltd. (hereinafter referred to as the ‘Applicants’ or ‘Applicant companies’) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of countervailing duty investigation concerning imports of “Aluminium Foil 80 Microns and below” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. The applicants have alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from actionable subsidies provided at various levels by the government of the subject country, including the governments of different provinces and municipalities in which producers/exporters are located, and other ‘public bodies’. The applicants have relied upon the relevant laws, rules, and regulations and other notifications of the relevant government agencies and public bodies as available in the public domain and in the determination of other investigating authorities who had conducted comprehensive investigations of such schemes and concluded the existence of countervailable subsidy programs.

**A. BACKGROUND**

3. The Authority initiated an investigation into ‘aluminium foil’ vide Notification No. 14/06/2015-DGAD on 15<sup>th</sup> December 2015. The product under consideration in this investigation was aluminium foil ranging from 5.5 micron to 80 micron. The Authority issued final findings in the investigation on 10<sup>th</sup> March 2017, recommending duty on aluminium foil ranging from 5.5 micron to 80 micron. The Ministry of Finance imposed the duties vide Notification No. 23/2017-Customs (ADD) dated 16<sup>th</sup> May 2017.

4. Thereafter, the Authority initiated an investigation into the subject goods vide Notification No. 06/21/2020-DGTR dated 20<sup>th</sup> June 2020, into imports of “Aluminium Foil 80 micron and below” from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia. The scope of the product under consideration in this investigation excluded aluminium foil of 5.5 micron to 80 micron from China PR, as duties were already in force on this product. Following a detailed investigation, the Authority concluded that the subject goods were exported from China PR, Malaysia, Thailand, and Indonesia at dumped prices and consequently the domestic industry suffered material injury. The Authority vide its Final Findings No. 6/21/2020-DGTR, dated 18<sup>th</sup> June 2021 recommended imposition of definitive anti-dumping duties, which were imposed by the Ministry of Finance vide Customs Notification No. 51/2021-Customs (ADD), dated 16<sup>th</sup> September 2021 for a period of five years.
5. The Authority initiated a mid-term review investigation vide Notification No. 7/3/2024-DGTR dated 29<sup>th</sup> March 2024. It was concluded that there was no need for re-quantification of anti-dumping duty applicable to producers in Thailand vide final findings notified on 26<sup>th</sup> March 2025.
6. Separately, anti-dumping investigation was conducted into imports of “Aluminium Foil of from China PR, initiated vide Notification No. 06/35/2023-DGTR dated 21<sup>st</sup> March 2024. The said investigation excluded aluminium foil below 5.5 micron from China PR, as the same was included in the product scope of the investigation concluded in 2021. Provisional duties were imposed vide Notification No. 06/35/2023-DGTR dated 28<sup>th</sup> August 2024. Ministry of Finance imposed the preliminary duties vide Notification No. 02/2025-Customs (ADD) dated 17<sup>th</sup> March 2025. Thereafter, the Authority recommended definitive anti-dumping duties vide final findings dated 20<sup>th</sup> March 2025, which were then imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 15/2025- Customs (ADD) dated 19<sup>th</sup> June 2025. These duties are currently in force.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

7. The product under consideration in the present investigation is “Aluminium Foil 80 Microns and below” originating in or exported from China PR. The scope of the PUC includes Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packaging materials of a thickness of 80 microns and below (with permissible tolerances)” excluding the following:
  - a) Aluminium Foil Composite- Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.
  - b) Etched or formed Aluminium Foils- Etched or formed Aluminium Foils is Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.
  - c) Aluminium composite panel- Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in façade cladding and signage.
  - d) Clad with compatible non clad Aluminium Foil- Clad with compatible non clad Aluminium Foil is a corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.
  - e) Aluminium Foil for beer bottle- Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.
  - f) Aluminium- Manganese- Silicon based and/or clad Aluminium- Manganese Silicon based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil

coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

8. The product under consideration is primarily used for protection and storage of foods and beverages, pharmaceutical packaging etc. It is used as a packaging material, for conservation and preservation of edible and food products. Aluminium foil is a non-toxic material. It is also a good thermal conductor and usually quite malleable.
9. The subject goods are classified under the category of organic chemicals under Chapter 76 under subheading 7607 of Schedule I to the Customs Tariff Act. Imports of the subject goods enter India under 76071 190, 76072090, 76072010, 76071110, 76071999, 76071991, 76071995, 76071910, 76071994, 76071993 and 76071992. The custom classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the PUC in the present investigation.
10. The product under consideration is sold by weight and therefore, the unit of measurement considered is in metric ton (MT) or Kilogram (Kg).
11. The applicants have proposed the PCN and the same has been provided in the table below. The interested parties can provide their comments on the PCNs for the purpose of this investigation within 10 days from the date of initiation of this investigation.

<b>SN</b>	<b>Type of Foil</b>	<b>Micron Range</b>	<b>Bare / Converted</b>	<b>PCN Codes</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Alu Alu Stock/Foil	45-60	Bare Foil	ASBF
2	House Foil/Home Foil	8-22	Bare Foil	HFBF
3	Light Gauge (LG)	7- < 20	Bare Foil	LGBF
4	Medium Gauge (MG)	20-60	Bare Foil	MGBF
5	Semi Rigid Container (SRC)	30-80	Bare Foil	SRBF
6	Ultra-Light Gauge Bare	5.5- < 7	Bare Foil	UGBF
7	Battery Foil	9-20	Bare Foil	BFBF
8	Capacitor	4.5- 20	Bare Foil	CFBF
9	*Any other Bare Foil (not falling within S.No.1-8)		Bare Foil	OFBF
10	Cigarette Foil	5.5-7	Converted	CFCF
11	Alu Alu Converted / laminated	45-60	Converted	ASCF
12	House/home Foil Converted	8-22	Converted	HFCF
13	SRC Converted	30-80	Converted	SRCF
14	Medium Gauge (MG) Converted	20-60	Converted	MGCF
15	Light Gauge (LG) Converted	7- < 20	Converted	LGCF
16	Battery Foil Converted	9-20	Converted	BFCF

17	Any other converted Foil (Not falling within S.No. 10-16)		Converted	OFCF
18	Ultra-Light Gauge Bare	5.5- <7	Bare Foil	UGBF

**C. LIKE ARTICLE**

12. The applicants have claimed that the subject goods, which are subsidised and exported to India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the subject imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicants. The two are technically and commercially substitutable and hence, should be treated as ‘like article’ under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

**D. SUBJECT COUNTRY**

13. The subject country in the present investigation is China PR.

**E. PERIOD OF INVESTIGATION**

14. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1<sup>st</sup> April 2024 to 31<sup>st</sup> March 2025 (12 months) and the injury investigation period will cover the periods 1<sup>st</sup> April 2021- 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022 - 31<sup>st</sup> March 2023, 1<sup>st</sup> April 2023 - 31<sup>st</sup> March 2024, and the POI.

**F. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING**

15. The Application has been filed by M/s. Raviraj Foils Ltd., M/s. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., M/s. Hindalco Industries Ltd., M/s. Shyam Sel and Power Ltd., M/s. Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd., and M/s. SRF Altech Ltd. Apart from the applicant companies, there are 26 other domestic producers of the subject goods. The Authority has also reached out to these other known producers seeking information on their production, sales, capacity, and capacity utilisation. however, no information has been received as yet.
16. Raviraj Foils Ltd., Hindalco Industries Ltd., Shyam Sel and Power Ltd., and Shree Venkateshwara Electrocast Pvt. Ltd. have certified that they have not imported the subject goods and are not related to any exporter or producer of the subject goods in China PR or any importer of the subject goods in India. LSKB Aluminium Foils Pvt. Ltd., and SRF Altech Ltd. have imported the subject goods in the POI, however it has been seen that the imports are low in volume and insignificant in relation to their own production, imports, and consumption.
17. The applicants have estimated total Indian production and the same has been considered appropriate at this stage. Thus, on the basis of information available and after due examination, the Authority notes that production by the applicants constitutes “a major proportion” of total Indian production. Thus, the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of Rule 6(3) of the Rules.

## **G. BASIS OF ALLEGED SUBSIDISATION**

18. The applicants have alleged that the Government in China PR maintained various countervailable subsidy programs. The Applicant companies have submitted that there is sufficient evidence showing that the exporters of the subject goods may have received subsidies in the form of grants, loans, guarantees, taxes, export credits, goods and services, and equity infusions- which provide a benefit. The information provided by the Applicants indicate *prima facie* that the below mentioned programs constitute actionable subsidies as per the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures and the Countervailing Duty Rules, 1995, that such subsidies were provided by the Government of China and that the exporters and producers of the subject goods in the subject country may have benefitted from these subsidies.
  
19. The *prima facie* evidence provided by the Applicants shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefited from a number of subsidies granted by the Government and/or other public bodies in the subject country. The following subsidies/programs have been alleged by the domestic industry:

### **I. Programs in the form of Grants**

**Program No. 1:** Anhui Fund for Air Pollution Control

**Program No. 2:** China Electronics Technology Group Corporation 18th Research Institute Project Funding

**Program No. 3:** Exemption of Government Managed Fund

**Program No. 4:** Export Assistance Grant

**Program No. 5:** Famous Brands Program

**Program No. 6:** Financial Incentive Funds for Air Pollutant Emission Reduction in Guangdong Province

**Program No. 7:** Financial Subsidies for Enterprise Research and Development

**Program No. 8:** Financial Support Discount Funds for Enterprise Innovation and Development

**Program No. 9:** Foreign Trade Development Fund Grants

**Program No. 10:** Funds for Advanced Manufacturing Budget

**Program No. 11:** Guangdong Engineering Technology Research Centre Identification Subsidy Fund

**Program No. 12:** Guangdong Province Social Insurance Liquidation Unemployment Subsidy

**Program No. 13:** High Tech Enterprise Cultivation Fund

**Program No. 14:** Investment Plan for the Revitalization and Technological Reform of Key Industries (the Sixth Batch) in the 2010 Central Budget

**Program No. 15:** Jiangyin Industry and Information Bureau Special Fund (Energy Saving)

**Program No. 16:** Jiangyin Intellectual Property Special Fund

**Program No. 17:** Key Laboratories Awarded Science and Technology Innovation Fund in 2021

**Program No. 18:** Municipal Subsidies for R&D of Enterprises

**Program No. 19:** National Skills Revitalisation Projects

**Program No. 20:** One- Time Employment Subsidy

**Program No. 21:** Post Subsidy Funds for Municipal Major Science and Technology/ Scientific and Technological Achievement Transformation Projects / Science and Technology Innovation Award / Funding after major science and technology special projects in 2018-19

**Program No. 22:** Promote Regional Financial Assistance for Enterprise R&D

**Program No. 23:** Promotion of Comprehensive Bonded Areas

**Program No. 24:** Provident Fund Center Post Expansion Benefit

**Program No. 25:** Regional Financial Assistance for Enterprise R&D in 2021

- Program No. 26:** Reimbursement of Anti-Dumping or CVD Legal Expenses by local governments
- Program No. 27:** Reward Subsidy for reducing Fees for the Financing Guarantee Businesses of Small and Micro Enterprises
- Program No. 28:** Shantou City Work-for-Training Subsidy
- Program No. 29:** Shantou Comprehensive Bonded Zone High-End Talent Contribution Award Fund
- Program No. 30:** Shantou Comprehensive Bonded Zone Industrial Production Upgrading Incentive Fund
- Program No. 31:** Vocational Skills Promotion Action Fund/Subsidy for Promotion of Vocational Competency
- Program No. 32:** Wolong District Finance Bureau Grants (Special Fund for Provincial Financial Assistance for Enterprise R&D in 2022)

## II. Programs in the form of Tax Incentives

- Program No. 33:** Accelerated Depreciation or Amortization Policy for Fixed Assets or Purchased Software
- Program No. 34:** Corporate Income Tax preferences for the two special economic development zones of Kashgar and Horgos in Xinjiang
- Program No. 35:** Exemption from Consumption Tax for qualified Batteries and Coatings
- Program No. 36:** Exemption from Consumption Tax on Diesel and other Industrial Fuel
- Program No. 37:** Good job in Unemployment Insurance, Stabilising Posts, Improving Skills, and Preventing Unemployment
- Program No. 38:** Import Tariff and VAT Exemptions on Imported Equipment in Encouraged Industries
- Program No. 39:** Income Tax Deductions for R&D Expenses under the Enterprise Income Tax Law
- Program No. 40:** Income Tax Reduction for Comprehensive Utilisation of Resources for Production
- Program No. 41:** Income Tax Reduction for High or New Technology Enterprises (HNTEs)
- Program No. 42:** Loan Interest Subsidy
- Program No. 43:** One-Off Pre-Tax Deduction for acquisition of equipment and appliances by MSMEs
- Program No. 44:** Personal Income Tax Reimbursement
- Program No. 45:** Phased Reduction of Unemployment Insurance and work-related injury Insurance Premium Rates
- Program No. 46:** Preferential Corporate Income Tax Policy in Guangzhou Nansha
- Program No. 47:** Preferential Environment Protection Tax for Enterprises below Pollutant Discharge Standards
- Program No. 48:** Preferential Tax Exemptions for Western Regions
- Program No. 49:** Preferential Tax Policies for Enterprises established in Special Economic Zones and Pudong New Area of Shanghai
- Program No. 50:** Preferential Tax Treatment on Environmental Protection for Comprehensive Utilisation of Solid Waste
- Program No. 51:** Preferential Tax Treatment on Financing
- Program No. 52:** Reduced Corporate Income Tax on High-Tech Enterprises
- Program No. 53:** Refund of VAT on Comprehensive Resource Utilisation for Products and Services
- Program No. 54:** Resource Tax Reduction for Shale Gas
- Program No. 55:** Shantou Finance Bureau Employment Subsidies for absorbing College Graduates
- Program No. 56:** Shantou Social Insurance Fund Administration Unemployment Benefit Subsidy
- Program No. 57:** Special Fund for the Development of Renewable Energies

**Program No. 58:** Stable Development of Industrial Enterprises

**Program No. 59:** Subsidies for Small and Medium Enterprises to Develop Markets and Other Projects

**Program No. 60:** Subsidy for High-Level Foreign Talents in Beijing

**Program No. 61:** Subsidy to encourage Industrial Economy and Improving Quality and Efficiency in Haicang District

**Program No. 62:** Suzhou Industrial Park of Jiangsu Province Special Fund for Green Development

**Program No. 63:** Suzhou Industrial Park Carrier Construction Benefits

**Program No. 64:** Tax and Fee Policies for further Supporting the Development of Small and Micro Enterprises and Individual Businesses

**Program No. 65:** Three Star Rated Enterprise Award/Four Star Rated Taxpayer Enterprise Award

**Program No. 66:** VAT Reduction and Exemption Policy for Small Scale Taxpayers

**Program No. 67:** VAT Refund Policy for Sales of Self-Produced New Wall Materials

**Program No. 68:** Worker Retention Allowance

### **III. Programs in the form of less than adequate remuneration (LTAR)**

**Program No. 69:** Provision of Electricity for LTAR

**Program No. 70:** Provision of Land for LTAR

**Program No. 71:** Provision of Primary Aluminium for LTAR

### **IV. Programs in the form of Preferential Financing, Lending, and Export Credits**

**Program No. 72:** Exporter Buyer's Credit Policy

**Program No. 73:** Exporter Seller's Credit Policy

**Program No. 74:** Policy Loans to the Aluminium Foil Industry

**Program No. 75:** Return of Unemployment Insurance

### **H. CONSULTATION**

20. The Authority, in terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM), invited the Government of China for consultation by scheduling a consultation meeting on 25<sup>th</sup> August, 2025. However, the embassy has not responded to the consultation request as yet.

### **I. INJURY, THREAT AND CAUSAL LINK**

21. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished *prima facie* evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged subsidisation and resulting in increased volume of subsidised imports in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India. The applicants have claimed that subject imports have also had a price suppressing effect on the domestic industry. The applicants have claimed that their performance has been adversely impacted in respect of sales and consequent decline in profits, return on capital employed, and cash profits, as a result of subsidised exports from the subject country. Thus, the evidence provided by the applicants *prima facie* shows injury to the domestic industry caused by the alleged subsidised imports from China PR.

**J. INITIATION OF COUNTERVAILING DUTY INVESTIGATION**

22. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, substantiating subsidisation of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between such alleged subsidisation and injury, and in accordance with Section 9 of the Act read with Rule 6 of the Rules, the Authority hereby initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of alleged subsidisation in respect of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**K. PROCEDURE**

23. Principles, as stated under Rule 7 of the CVD Rules, shall be followed in the present investigation.

**L. SUBMISSION OF INFORMATION**

24. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in). It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format. Submissions requiring special software to access the files will not be accepted.
25. The known producers/ exporters in the subject country, the government of the subject country through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the CVD Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
26. Any other interested party may also make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non- confidential version of the same available to the other parties.
27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well further processes related to the investigation.

**M. TIME LIMIT**

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to [dir15-dgtr@gov.in](mailto:dir15-dgtr@gov.in) and [consultant-dgtr@govcontractor.in](mailto:consultant-dgtr@govcontractor.in) within 30 days from the date from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Rules . If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.
30. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 7(4) of the CVD Rules and such request must come within the time stipulated in this notification.

#### N. **SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

31. Any party making confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same information in terms of Rule 8(2) of the CVD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
32. The parties making any submissions (including appendices/annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately. In case the submission is made in multiple parts, it is instructed to provide an index table in each part outlining the contents of all parts/emails and documents enclosed. Please ensure page numbering on all submissions.
33. Where the original documents are in a language other than English or Hindi, the interested parties are requested to ensure that the true translated version is provided along with the original documents.
34. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the CVD rules and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

38. The interested parties can offer their comments on the issue of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement in terms of Rule 8 of the CVD Rules and appropriate trade notices issued by the Authority on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

#### **O. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

42. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/responses/information to all other interested parties. Failure to circulate non-confidential version of the submissions/responses/information might lead to consideration of an interested party as non-cooperative.

#### **P. NON-COOPERATION**

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority